Shodh Drishti (An International Peer Reviewed Multidisciplinary Refereed Research Journal) Impact Factor : 8.125
Vol. 16, No. 12.2, December 2025 ISSN : 0976-6650

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 – उच्च शिक्षा में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा एवं प्रभावशीलता

शालिनी सिंह
शोध छात्रा, शिक्षाशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ०प्र०)

शिक्षा मानव जीवन का वह आधार है जो व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करते हुए उसे सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक और व्यावसायिक दृष्टि से सक्षम बनाती है। यह केवल ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और सामाजिक चेतना के विकास का माध्यम है। शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होता है, निर्णय लेने में सक्षम होता है तथा जीवन की चुनौतियों का समाधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करता है। शिक्षा समाज में सामाजिक समरसता, लोकतांत्रिक मूल्यों और सांस्कृतिक चेतना को प्रोत्साहित करती है।शिक्षा सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है, जिससे परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित होता है। इसलिए शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों के समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। प्रजातांत्रिक समाज की स्थापना में शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। अतः समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करना राष्ट्र का कर्तव्य है। व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत नए-नए विचारों को सम्मिलित किया गया है। वास्तव में इन विचारों का मूर्त रूप ही मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा है।

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण और नवोन्मेषी स्वरूप है, जो परंपरागत शिक्षण-अधिगम व्यवस्था से भिन्न होते हुए भी उसके उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इस प्रणाली का मूल उद्देश्य ऐसे शिक्षार्थियों तक शिक्षा पहुँचाना है जो भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक अथवा व्यक्तिगत कारणों से औपचारिक शिक्षा संस्थानों में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो सकते। इस दृष्टि से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को शिक्षा के लोकतंत्रीकरण का सशक्त माध्यम माना जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा या अधिगम की अवधारणा—

मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम की अवधारणा तीन शब्दों से मिलकर बनी हुई है जो निम्नलिखित है-

मुक्त (Open): यह शिक्षा के प्रवेश, पाठ्यक्रम चयन और सीखने की गति में लचीलापन प्रदान करता है। यह सभी के लिए सुलभ है, बिना पारंपरिक उम्र या योग्यता की सख्त शर्तों के।

दूरस्थ (Distance): इसमें शिक्षार्थी और शिक्षक का एक ही स्थान या समय पर उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है।

अधिगम (Learning): यह सीखने की एक प्रक्रिया है जो स्व-अध्ययन, डिजिटल सामग्री, वीडियो और लाइव सत्रों पर आधारित है।

मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम (Open and Distance Learning – ODL) एक ऐसी वैकल्पिक एवं आधुनिक शैक्षिक व्यवस्था है, जो शिक्षा को समय, स्थान और आयु की सीमाओं से मुक्त करती है। इस प्रणाली में शिक्षार्थी और शिक्षक का एक ही स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य नहीं होता, बल्कि अधिगम की प्रक्रिया स्व-अध्ययन सामग्री, डिजिटल संसाधनों, ऑनलाइन कक्षाओं, वीडियो व्याख्यानों एवं संवादात्मक प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम/ शिक्षा को भारतीय उच्च शिक्षा के विस्तार एवं लोकतंत्रीकरण का एक प्रभावी माध्यम माना गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ODL को बहु-विषयक विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ जोड़ा गया है, ताकि भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा व्यक्तिगत कारणों से जो शिक्षार्थी परंपरागत विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते, उनके लिए मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम एक वैकल्पिक ही नहीं बल्कि समान गुणवत्ता वाला मार्ग होना चाहिए।

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की प्रणाली स्व-अधिगम पर आधारित है, जिससे आजीवन शिक्षा की भावना को सुदृढ़ करती है। व्यक्ति जीवन के किसी भी चरण में अपनी योग्यता, कौशल और ज्ञान को विकसित कर सकता है।राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 यह भी स्पष्ट करती है कि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा वर्तमान डिजिटल युग में शिक्षा के विस्तार और गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक सशक्त साधन बन चुकी है।

परिभाषा—

मानव विकास मंत्रालय के अनुसार यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थियों को एक स्थान पर अथवा एक समय पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती। यह प्रणाली कार्य विधियों एवं शिक्षण समय के बारे में लचीली है। इसमें आवश्यक गुणवत्ता सिद्धान्तों के साथ समझौता किए बिना प्रवेश सुगमता से मिल जाता है।

मुक्त व दूरस्थ शिक्षा से अभिप्राय— "सीखने और सिखाने की वह प्रक्रिया जिसमें स्थान और समय के आयाम सीखने और सिखाने के मध्य दूरस्थता पैदा करते हैं।"

-माल्कोन एडसेशिया

शिक्षा में मुक्त एंव दूरस्थ शिक्षा को शिक्षा का वह प्रकार बताया है— "जिसमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययन के विभिन्न प्रकार उन विद्यार्थियों के लिये, जो शिक्षकों के निरन्तर एवं तुरन्त निरीक्षण में कक्षाओं में नहीं होते हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं, किन्तु जो किसी भी प्रकार के शैक्षिक संस्थाओं से नियोजन, निर्देशन एवं शिक्षण से कम लाभ नहीं प्रदान करते हैं।"

— होमबर्ग (1981)

मुक्त व दूरस्थ शिक्षा की प्रकृति—

विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं से दूरस्थ शिक्षा की प्रकृति के कुछ तथ्य उभर कर आये हैं—

1. दूरस्थ शिक्षा एक नवाचार है, जो कि परम्परागत शिक्षा प्रणाली से तुलना में अत्यन्त उदार है।
2. दूरस्थ शिक्षा में शिक्षण व्यवहार व अधिगम व्यवहार में सीधा सम्पर्क नहीं होता है। इसमें छात्र की उपस्थिति से सम्बन्धित क्रियायें यदा-कदा सम्मिलित हैं।
3. इसमें उच्च स्तरीय स्व-अधिगम सामग्री के निर्माण पर विशेष बल दिया जाता है।
4. दूरस्थ शिक्षा का नियोजन किसी शैक्षिक संस्था एवं संगठन द्वारा किया जाता है। इस प्रकार यह व्यक्तिगत अध्ययन से भिन्न है। इस प्रणाली में शिक्षक, कक्षा तथा विद्यालय की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
5. इसमें आयु एवं समय की आबद्धता नहीं है, यह आवश्यकता आधारित है।
6. इसमें शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों एक-दूसरे से अलग होते हैं और आपस में सीधा सम्पर्क व प्रत्यक्ष संवाद नहीं या न्यूनतम रहता है। दोनों दूर रहकर अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं।
7. दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थियों को स्व-निर्मित वातावरण में स्व-निर्देशित स्व-अधिगम का अवसर दिया जाता है।
8. शिक्षार्थियों को अधिगम सामग्री के सम्प्रेषण के लिए मुद्रित, तकनीकी, संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। जैसे— रेडियो, दूरदर्शन, विडियो, कैसेट्स तथा कम्प्यूटर सहायतित अधिगम, प्रिन्टेड पत्र-पत्रिकाएं प्रयुक्त होते हैं।
9. यह प्रणाली शिक्षार्थियों की आवश्यकता एवं व्यवसायानुरूप उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करने तथा उसमें परिमार्जन लाने के लिए शिक्षण पुनः-शिक्षण का अवसर प्रदान करने में सक्षम है।

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के आधारभूत तत्व–

दूरस्थ शिक्षा जन शिक्षा के रूप में प्रचलित व्यापक शैक्षिक प्रणाली है। इसका संप्रेषण क्षेत्र व्यापक है। इस की संरचना के आधारभूत तत्व हैं–

1. मुद्रित सामग्री– इसके अन्तर्गत पुस्तकें, स्वयं पठनीय मुद्रित मार्गदर्शिकायें आदि सम्मिलित हैं। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है।

2. श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री– प्रत्यक्ष सम्प्रेषण का अभाव होने के कारण इन माध्यमों को अधिक लोकप्रिय बनाया गया है। इसके अन्तर्गत फिल्म, रेडियो, स्लाइड्स व दृश्य–श्रव्य कैसेट होते हैं।

3. रेडियो एवं दूरदर्शन– जनसंचार के माध्यम एक मार्गीय सम्प्रेषण को प्रभावशाली बनाने का कारगर उपाय है, इससे सम्प्रेषण सुगमता पूर्वक एवं व्यापक स्तर पर हो जाता है।समस्या समाधान हेतु द्विमार्गी वार्तालाप हेतु फोन–यह कार्यक्रम शिक्षक तथा शिक्षार्थी के बीच एक मजबूत कड़ी का कार्य करते हैं।

4. कम्प्यूटर आधारित शिक्षण अधिगम– दूरस्थ शिक्षा के प्रचार–प्रसार एवं सम्प्रेषण का मुख्य आधार कम्प्यूटर है, यह एक मार्गीय सम्प्रेषण का प्रभावी साधन है।

5. दत्त कार्य– यह दूरस्थ शिक्षा में शिक्षक व छात्र को जोड़ने का एकमात्र साधन है, क्योंकि अध्येता कुछ प्रश्नों के उत्तर लिख कर जमा करता है। इनका मूल्यांकन कर सुझाव दिया जाता है। इससे शिक्षक-छात्र का सम्पर्क द्विमार्गी हो जाता है।

6. परामर्श कक्षायें– मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा में दूर अध्येताओं की समस्याओं को सुलझाने के लिये परामर्श कक्षाओं का आयोजन किया जाता है तथा दूरस्थ शिक्षक इनमें विद्यार्थियों को परामर्श देते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से ही अध्येता एवं अध्यापक का अन्य सम्पर्क प्रत्यक्ष हो पाता है।

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, उच्च शिक्षा के संदर्भ में इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. उच्च शिक्षा तक पहुँच का विस्तार करना- भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक बाधाओं को कम करते हुए दूर-दराज़ क्षेत्रों, वंचित वर्गों तथा कार्यरत युवाओं तक उच्च शिक्षा पहुँचाना।
2. सकल नामांकन अनुपात (GER) में वृद्धि करना- युवाओं को अधिक से अधिक उच्च शिक्षा से जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर नामांकन दर को बढ़ाना।
3. आजीवन अधिगम को प्रोत्साहन देना- शिक्षार्थियों को जीवन भर सीखने के अवसर प्रदान करना, ताकि वे बदलते सामाजिक और व्यावसायिक परिवेश में स्वयं को अद्यतन रख सकें।
4. शिक्षा प्रणाली में लचीलापन प्रदान करना- समय, स्थान और गति के अनुसार सीखने की स्वतंत्रता देकर शिक्षार्थी-केंद्रित व्यवस्था विकसित करना।
5. समानता एवं समावेशन सुनिश्चित करना- महिला, दिव्यांग, ग्रामीण, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर सुलभ बनाना।
6. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना- मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम कार्यक्रमों की अकादमिक गुणवत्ता, मूल्यांकन प्रणाली और पाठ्यवस्तु को मानकीकृत कर परंपरागत शिक्षा के समकक्ष बनाना।
7. तकनीकी नवाचार को एकीकृत करना- डिजिटल प्लेटफॉर्म, MOOCs, SWAYAM, वर्चुअल क्लासरूम आदि के माध्यम से शिक्षण-अधिगम को आधुनिक बनाना।
8. रोज़गारोन्मुख एवं कौशल-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना- मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ODL) के माध्यम से व्यावसायिक, कौशल विकास एवं उद्योग-संबंधित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020- मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की प्रभावशीलता-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक गुणवत्ता-आधारित तथा तकनीक-समर्थ बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी दस्तावेज है। इस नीति में मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम को उच्च शिक्षा के विस्तार, समानता और पहुँच को सुदृढ़ करने का एक प्रभावी माध्यम माना गया है।

1. **मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की प्रभावशीलता का पहला आधार है—शिक्षा तक पहुँच (Access)**- NEP-2020 यह मानती है कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी हैं जो भौगोलिक दूरी, आर्थिक बाधाओं, पारिवारिक उत्तरदायित्वों या रोजगार के कारण नियमित शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ODL इन सभी वर्गों तक उच्च शिक्षा पहुँचाने में प्रभावी सिद्ध होता है। इससे शिक्षा का लोकतंत्रीकरण होता है और वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है।
2. **दूसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष है—लचीलापन और आजीवन अधिगम (Flexibility & Lifelong Learning)-** नीति के अनुसार ODL शिक्षार्थियों को अपनी गति, रुचि और आवश्यकता के अनुसार सीखने की स्वतंत्रता देता है। क्रेडिट-आधारित पाठ्यक्रम, MOOCs, SWAYAM और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से विद्यार्थी कभी भी, कहीं भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था कार्यरत युवाओं, गृहिणियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यंत प्रभावी है।
3. **तीसरा पक्ष है—गुणवत्ता और प्रासंगिकता (Quality & Relevance)-** NEP-2020 ODL कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढाँचे, मान्यता प्रणाली और अकादमिक निगरानी पर बल देती है। इससे दूरस्थ शिक्षा की सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ती है और ODL से प्राप्त डिग्रियों को परंपरागत शिक्षा के समकक्ष माना जाने लगा है।
4. **चौथा पक्ष है—तकनीकी नवाचार (Technological Integration)-** ODL की प्रभावशीलता डिजिटल संसाधनों, ई-लर्निंग सामग्री, वर्चुअल क्लासरूम और ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणालियों के कारण बढ़ी है। NEP-2020 में डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF) के माध्यम से ODL को और अधिक सुदृढ़ करने का प्रावधान है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ODL की प्रभावशीलता शिक्षा के विस्तार, समानता, गुणवत्ता और आजीवन अधिगम की अवधारणा को मूर्त रूप देती है। यह नीति ODL को भारत के ज्ञान-आधारित समाज और आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन मानती है।

NEP 2020 के अनुसार मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को उच्च शिक्षा के विस्तार और समानता स्थापित करने का एक प्रभावी साधन माना गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020- मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम की चुनौतियां-

शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें अध्यापक, विद्यार्थी और विषय-सामग्री तीनों का सम्बन्ध होता है। यही शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया के तीन ध्रुव हैं। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा जन शिक्षा की पद्धति है। इस शिक्षा का प्रसार तीव्रता से हो रहा है परन्तु अभी भी उच्च शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में इसके समक्ष चुनौतियाँ हैं—

1. **विद्यार्थी-केन्द्रित अनुकूलन की कमी**

   NEP-2020 छात्र-केन्द्रित शिक्षण पर बल देती है, किंतु दूरस्थ शिक्षा में अभी भी अनेक कार्यक्रम विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त रूप से अनुकूलित नहीं हो पाए हैं।

2. **प्रेरणा एवं आत्म-अनुशासन का अभाव**

   ODL प्रणाली में शिक्षार्थी को स्वप्रेरित एवं आत्मनियंत्रित होना आवश्यक होता है। परंतु प्रत्यक्ष शैक्षिक वातावरण के अभाव में कई विद्यार्थियों में सीखने की निरंतर प्रेरणा बनाए रखना कठिन हो जाता है।

3. **गुणवत्ता मूल्यांकन एवं प्रत्युत्तर तंत्र की सीमाएँ**

   NEP-2020 में सतत एवं बहुआयामी मूल्यांकन पर ज़ोर दिया गया है, किंतु दूरस्थ शिक्षा में फीडबैक प्रणाली अपेक्षाकृत कमजोर होने के कारण सीखने की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

4. **शिक्षक-विद्यार्थी प्रत्यक्ष संवाद की कमी**

   नीति संवादात्मक शिक्षण को आवश्यक मानती है, जबकि ODL में आमने-सामने संपर्क सीमित होने से मार्गदर्शन, परामर्श एवं शैक्षणिक सहयोग में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।

5. **शैक्षिक सहायक ढाँचे की अपर्याप्तता**

   NEP-2020 डिजिटल एवं भौतिक संसाधनों की सुलभता पर बल देती है, परंतु अनेक दूरस्थ शिक्षण संस्थानों में अध्ययन सामग्री, तकनीकी सहायता तथा परामर्श सेवाओं का।

6. **संस्थागत स्तर पर समस्याएँ**

- बढ़ती जनसंख्या और सीमित सीटों के कारण दूरस्थ शिक्षा संस्थानों पर नामांकन का अत्यधिक दबाव बढ़ गया है।
- कई मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थानों में प्रशिक्षित शिक्षकों एवं अकादमिक स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- वित्तीय संसाधनों का बड़ा भाग औपचारिक प्रणाली में चला जाता है, जिसके कारण मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम के लिए पुस्तकालय, अध्ययन केंद्र और छात्र सहायता सेवाओं का विकास सीमित रह जाता है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संस्थागत स्वायत्तता पर बल दिया गया है, परंतु दूरस्थ शिक्षा संस्थानों को अभी भी अपेक्षित स्वतंत्रता नहीं मिल पाई है।

7. **विद्यार्थियों के समक्ष समस्याएँ**

- मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षामें अधिगम सामग्री इतनी समग्र नहीं होती कि वह पूरे पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से समाहित कर सके।
- विद्यार्थियों के लिए अध्ययन केंद्र, पुस्तकालय और डिजिटल संसाधनों की पहुँच सीमित होती है।
- व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को व्यावहारिक गतिविधियों एवं सहभागिता के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते।
- शिक्षक की भौतिक अनुपस्थिति के कारण विद्यार्थियों को मार्गदर्शन, प्रेरणा और फीडबैक समय पर नहीं मिल पाता।
- अध्ययन सामग्री का वितरण समय पर न होना अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है।
- कई व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम बिना पर्याप्त प्रयोगशाला और भौतिक संसाधनों के संचालित किए जाते हैं, जिससे छात्रों को व्यावहारिक अनुभव नहीं मिल पाता।

8. व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (PCP) से जुड़ी समस्याएँ-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा में संवादात्मक, अनुभवात्मक एवं विद्यार्थी-केंद्रित अधिगम पर विशेष बल देती है। इसी दृष्टि से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा में व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (Personal Contact Programmes – PCP) को महत्त्वपूर्ण माना गया है।

- व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (PCP) का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की अध्ययन-संबंधी कठिनाइयों का समाधान करना होता है, किंतु कार्यक्रम की सीमित अवधि के कारण सम्पूर्ण पाठ्यवस्तु का सम्यक् शिक्षण संभव नहीं हो पाता।
- अधिकांश विद्यार्थी कामकाजी होते हैं, इसलिए वे व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग नहीं ले पाते।
- दूरस्थ शिक्षा में अधिकांश विद्यार्थी सेवारत या कार्यरत होते हैं। इस कारण उन्हें व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम में भाग लेने हेतु अवकाश लेना पड़ता है, जो हर विद्यार्थी के लिए संभव नहीं होता। परिणामस्वरूप अनेक विद्यार्थी इन कार्यक्रमों के शैक्षणिक लाभ से वंचित रह जाते हैं।
- व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम का आयोजन प्रायः सीमित संसाधनों में किया जाता है, जिससे शिक्षण को अपेक्षित गुणवत्ता, गहराई और संवादात्मक स्वरूप नहीं मिल पाता।

समाधान-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, समानता, पहुँच और प्रौद्योगिकी-आधारित अधिगम को सुदृढ़ करने पर विशेष बल देती है। इसी संदर्भ में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की समस्याओं के समाधान ही इसकी प्रभावशीलता को बढ़ायेंगे। निम्नलिखित उपाय अत्यंत आवश्यक हैं:

1. अध्ययन सामग्री एवं शैक्षणिक संसाधनों का सुदृढ़ीकरण

- मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में अध्ययन केंद्रों पर समुचित शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अंतर्गत—
- पाठ्य-पुस्तकें, सहायक ग्रंथ तथा संदर्भ सामग्री सुलभ रूप में उपलब्ध हों।
- विज्ञान एवं तकनीकी विषयों के लिए उपयुक्त प्रयोगशाला-आधारित संसाधन विकसित किए जाएँ।
- दृश्य–श्रव्य शिक्षण सामग्री, ई-कंटेंट तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग हो।
- प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं सूचना-संबंधी सामग्री विद्यार्थियों को समय पर प्रदान की जाए।
- कक्षा-शिक्षण सहायक सामग्री एवं ऑनलाइन टूल्स का समावेश किया जाए।

2. अधिगम सामग्री के भंडारण एवं वितरण की व्यवस्था

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अध्ययन सामग्री के सुरक्षित भंडारण तथा सुचारु वितरण के लिए पर्याप्त स्थान, डिजिटल रिपॉजिटरी और प्रबंधन प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों तक सामग्री समय पर और निर्बाध रूप से पहुँच सके।

3. गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली का क्रियान्वयन

दूरस्थ शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक सुदृढ़ Quality Assurance Mechanism लागू किया जाना चाहिए, जिसमें—

- पाठ्यक्रमों की नियमित समीक्षा,
- शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं का मूल्यांकन,
- शिक्षक प्रशिक्षण,
- और छात्र फीडबैक प्रणाली को शामिल किया जाए।

4. अध्ययन केंद्रों और पुस्तकालय सुविधाओं का विस्तार

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिक संख्या में अध्ययन केंद्र, डिजिटल लाइब्रेरी तथा ई-रिसोर्स हब विकसित किए जाने चाहिए, जिससे शैक्षणिक सहायता सुलभ हो सके।

5. व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों (PCP) को सशक्त बनाना

व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों (PCP) में विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षणिक एवं व्यावहारिक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर दिए जाएँ तथा इन्हें अधिक संवादात्मक और अनुभवात्मक बनाया जाए।

6. **माध्यम भाषा और संचार कौशल पर ध्यान**
   दूरस्थ शिक्षा में शिक्षण माध्यम भाषा को लचीला, सरल और छात्र-अनुकूल बनाया जाए ताकि विभिन्न सामाजिक एवं भाषाई पृष्ठभूमि के विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें।
7. **संस्थागत स्वायत्तता और शिक्षक सहभागिता**
   राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप दूरस्थ शिक्षा संस्थानों को कार्यक्रमों के आयोजन में अधिक स्वायत्तता दी जाए और शिक्षकों को नवाचार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
8. **सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का ध्यान**
   शिक्षक पाठ्यक्रम और शिक्षण रणनीति बनाते समय विद्यार्थियों की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखें, जिससे शिक्षा अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बन सके।

निष्कर्ष-

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम की अवधारणा शिक्षा के लोकतंत्रीकरण, समावेशी विकास, लचीला, सुलभ, तकनीकी नवाचार तथा आजीवन अधिगम की भावना पर आधारित है। यह न केवल शिक्षा की पहुँच को व्यापक बनाती है, बल्कि भारत को ज्ञान-आधारित समाज की दिशा में अग्रसर करने का सशक्त माध्यम भी सिद्ध होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना "Access, Equity, Quality और Accountability" मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है।

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के समक्ष गुणवत्ता, अध्ययन सामग्री की उपलब्धता, तकनीकी अवसंरचना, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों की सीमितता, मूल्यांकन की पारदर्शिता और शिक्षक-छात्र संवाद की कमी जैसी अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप इन समस्याओं का समाधान किया जाए, तो मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा न केवल उच्च शिक्षा का विकल्प बनेगा बल्कि मुख्यधारा की शिक्षा के समकक्ष एक सशक्त प्रणाली के रूप में स्थापित हो सकेगा।

कि यदि NEP 2020 की सिफारिशों को व्यवहार में प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा भारतीय उच्च शिक्षा में समानता, गुणवत्ता और नवाचार का सशक्त आधार बन सकती है और शिक्षा को वास्तव में "सबके लिए" सुलभ बना सकती है।

संदर्भ ग्रन्थ-

- गुप्ता एवं गुप्ता (2009) मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा – शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- लाल, रमेश बिहारी (2014) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक – रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ।
- भट्टाचार्य, जी०पी० – अध्यापक शिक्षा विनोद – पुस्तक मंदिर, आगरा।
- शर्मा, आर०एन० (2011) दूरस्थ शिक्षा – आर०लाल बुक डिपो, मेरठ।
- गुप्ता, प्रो० एस०पी० एवं गुप्ता, डॉ० अलका (2020) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : एक सरल परिचय – शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- www.education.gov.in
- www.uprtou.ac.in
- www.scert.cg.gov.in